रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941
No. 390] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

(मामला सं. एसएसआर 12/2019)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेजरिंग टेप्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

फा. सं. 7/24/2019-डीजीटीआर.—जबकि मेसर्स एफ एम आई लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने नामित प्राधिकारी (इसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, घरेलू उद्योग की ओर से, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार, समय के अनुसार। समय-समय पर (बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और डंप किए गए लेखों पर और डंपिंग के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का संग्रह) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित किए गए (इसके पश्चात नियमावली के रूप में संदर्भित) " मेजरिंग टेप्स " के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच की सूर्यास्त समीक्षा के लिए "नियम"), (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित), चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात (बाद में संदर्भित) "विषय देश" के रूप में)।

2. और चूंकि, आवेदक ने चाइना पीआर से उत्पन्न और निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को चोट लगी है और आयात पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क की समीक्षा और जारी रखने का अनुरोध किया है। विषय वस्तुओं का, विषय देश से उत्पन्न या निर्यात किया हुआ।

पृष्ठभूमि

3. और जबकि, चीन पी आर से विषय वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल जांच प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी, फा.सं. सं. 14/31/2002-डीजीएडी ने 23 अक्टूबर 2002 के माध्यम से। प्राधिकरण ने अपने अंतिम निष्कर्ष नंबर 14/31/2002-डी जी ए डी को 1 सितंबर 2003 को, चीन पी आर से विषय वस्तुओं के आयात के खिलाफ डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 147/ 2003- सीमाशुल्क दिनांक 7/ 10/ 2003 द्वारा निश्चित शुल्क लगाया गया था।

4. जबकि, प्राधिकरण द्वारा एक सूर्यास्त समीक्षा (SSR) जांच शुरू की गई थी और उसके बाद, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2/2008- डी जी ए डी ने दिनांक 27 मार्च, 2009 को निष्कर्ष निकाला और वही अधिसूचना संख्या 49/2009-सीमा शुल्क (पाटन रोधी) दिनांक 15.05.2009 को लागू किया गया।

5. जबकि, एक दूसरी सूर्यास्त समीक्षा की जांच शुरू की गई थी और प्राधिकरण ने 5 मई 2015 को अधिसूचना संख्या 15/9/2014- डी जी ए डी के शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी और वही अधिसूचना संख्या 31/2015-सीमा शुल्क (पाटनरोधी) दिनांक 9 जुलाई, 2015 को लगाया गया था।

शामिल देश

6. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

विचाराधीन उत्पाद

7. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद ''मेजरिंग टेप्स'', ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' है। विचाराधीन उत्पाद ''मेजरिंग टेप्स'', इसके कलपुर्जे और संघटक, सभी प्रकार के इस्पात मेजरिंग और फाइबर ग्लास टेप्स और उनके कलपुर्जे अथवा संघटक वर्तमान याचिका की विषय वस्तु है। इसका सामान्य तौर पर उपयोग किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई आदि की माप करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फोरमेन, राज मिस्त्री, बढ़ई, वानिकी विभागों और दर्जियों आदि के द्वारा किया जाता है। मेजरिंग टेप्स का निर्माण ठंडा किए गए उच्च कोटि का कार्बन स्टील ब्लेड, फोस्टेट किया हुआ और विशेष मीनाकारी से कोट किया हुआ होता है और इसके कारण क्षय और जंग को रोका जा सकता है। मेजरिंग टेप्स का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। मापने वाले टेप टेम्परेड उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील के ब्लेड से निर्मित होते हैं, जो जंग और जंग का सामना करने के लिए विशेष तामचीनी के साथ लेपित और लेपित होते हैं। मेजरिंग टेप्स का उपयोग इसके लिए किया जाता है: -

क. उच्च सटीकता वाले पेशेवर कार्य के लिए

ख. किसी वस्तु की गहराई, चौड़ाई अथवा लंबाई की माप करने के लिए

ग. संकुचन और सर्वेक्षण

तकनीकी शब्दों में मेजरिंग टेप्स को किसी टेप की लंबाई और चौड़ाई, उपयोग किए गए कच्चे माल अर्थात इस्पात अथवा फाइबर ग्लास और अंतत: सटीकता, जिसके साथ टेप पर लंबाई अंकित की जाती है, के संबंध में परिभाषित किया गया है।

8. इसका वर्गीकरण उप शीर्षक 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 90 के अंतर्गत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि संबद्ध वस्तुओं का आयात उपर्युक्त उप शीर्षकों जैसे 90171000, 90173010, 90173029, 90178010, 90178090, 90189099 आदि के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि विषय वस्तु, जिसे भारत में डंप किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान के समान है। डंप किए गए आयातों और तकनीकी रूप से उत्पादित विषय वस्तु और उत्पाद पर आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम-उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापित करने योग्य हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को। समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है, जो विषय देशों से आयात किए जा रहे सामानों के लिए है।

घरेलू उद्योग

10. आवेदन मेसर्स एफ एम आई लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो विषय वस्तु को देश से आयात किया है और न ही संबंधित देश में किसी विषय के निर्यातक या निर्माता या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक कंपनी का भारतीय उत्पादन में लगभग 74% का अनुपात है। इसलिए, प्राधिकरण ने आवेदक को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना है और नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को भी पूरा किया है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

11 और इसलिये, आवेदक द्वारा विधिवत स्थानापन्न आवेदन के मद्देनजर अथवा अपने आप को संतुष्ट करने के बाद, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार पाटन और क्षति के जारी रहने/ उसके फिर से होने की संभावना को सिद्ध करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्क को लगातार जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस तथ्य की जांच करने कि क्या इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

12. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जॉंच की अवधि 1 अप्रैल, 2018 – 30 जून, 2019 (15 महीने) है। क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल 2015– मार्च 2016, अप्रैल 2016 – मार्च 2017, अप्रैल 2017 – मार्च 2018 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी । जांच की अवधि के बाद की अवधि पर भी विचार संभावना के विश्लेषण के उद्देश्य से किया जा सकता है।

प्रक्रिया

13. इस समीक्षा में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 5 मई, 2015 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/9/2014-डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल होंगे।

14. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस समीक्षा में लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों और संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है।

16. अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से जांच से संबंधित अपने अनुरोध भी कर सकते हैं। यह सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जा सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

17. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर प्राधिकरण तक पहुंच सके। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए सूचना देने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह प्राप्त किया गया होगा जिस दिन यह नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुई है या प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकरण एंटी-डंपिंग नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है।

19. सभी इच्छुक पक्षों को तात्कालिक मामले में अपनी रुचि (ब्याज की प्रकृति सहित) अंतरंग करने की सलाह दी जाती है और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं को दर्ज करें।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों (जिसमें उससे संबंधित परिशिष्ट/अनुबंध शामिल हो) से यह अपेक्षित है कि वे उस स्थिति में दो अलग-अलग क्षेत्रों में उसे प्रस्तुत करें जब उसके किसी भाग के संबंध में ''गोपनीयता'' का दावा किया गया हो ।

(i) एक सैट पर गोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) तथा

(ii) दूसरे सैट पर अगोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) ।

21. ''गोपनीय'' अथवा ''अगोपनीय''अनुरोधों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर ''गोपनीय'' अथवा ''अगोपनीय'' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अंकित किए गए बिना प्राप्त किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे । दोनों पाठों की सॉफ्ट कॉपी भी प्रत्येक के 4 (चार) सैट में हार्ड कॉपी सहित प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

22. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना निहित होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा अन्य सूचना जो इस प्रकार की सूचना देने वाले के द्वारा गोपनीय के रूप में दावा की गई हो । सूचना के लिए जिसके संबंध में दावा गोपनीय के रूप में किया जाता है, अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया हो, सूचना देने वाले से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ इसके संबंध में भी सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

23. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति हो और अधिमानत: इसे अनुक्रमित किया गया हो अथवा कवर किया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है लेकिन यह उस सूचना पर निर्भर करेगा जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है । अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके । हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्यक उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है ।

24. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाले इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं ।

25. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के संबंध में सही कारण का उल्लेख किए बिना किये गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा ।

26. संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाले सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

असहयोग

28. यदि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं ।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2019

(Case No. SSR 12/2019)

Subject : Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of Measuring Tapes originating in or exported from China PR.

F. No. 7/24/2019-DGTR.—Whereas M/s. FMI Ltd (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Measuring Tapes" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. AND WHEREAS, the applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. And Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority vide initiation notification no. 14/31/2002-DGAD dated 23rd October 2002. The Authority vide its final findings No. 14/31/2002-DGAD dated 1st September, 2003 recommended imposition of anti-dumping duty against the imports of the subject goods from China PR. Definitive duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 147/2003-CUS dated 7/10/2003.

4. Whereas, a Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority and thereafter, Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification no. 15/2/2008-DGAD dated 27th March, 2009 and the same was imposed vide Notification No. 49/2009-Customs (ADD) dated 15.05.2009.

5. Whereas, a second sunset review investigation was initiated and the Authority recommended continuation of duties vide Notification No. 15/9/2014-DGAD dated 5th May 2015 and the same was imposed vide Notification No. 31/2015-Customs (ADD) dated 9th July, 2015.

Subject Country

6. The Subject Country in the Original Investigation was China PR. China PR is, therefore, the subject country for this sunset review.

Product under Consideration

7. The product under consideration in the present investigation is "Measuring Tapes", its parts and components etc., all type of steel measuring and fibre glass tapes and their parts or components are the subject matter of the present petition. It is generally used for measuring the length, breadth etc. of an object. It is used by foreman, mason, carpenter, forestry departments and tailors etc. Essentially, as the name suggests, measuring tapes are used to "measure" dimensions and they can be found wherever measurement is required to be taken. Measuring Tapes are manufactured from tempered high quality carbon steel blade, phosphated and coated with special enamel to withstand corrosion and rust. Measuring tapes are used for: -

a. high precision professional jobs;

b. measuring depth, width, or length of an object;

c. contraction and surveys.

In technical terms the measuring tapes are defined in terms of length and width of a tape, raw material used i.e. steel or fibre glass and, finally precision with which dimensions are marked on the tape.

8. The subject goods are classifiable under Chapter 90 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90. The petitioner has stated that subject goods are being imported under sub-headings such as 90171000, 90173010, 90173029, 90178010, 90178090, 90189099 etc. However, the custom classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

Like Article

9. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

10. The application has been filed by M/s. FMI Limited. The Applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. On the basis of information available, the Authority notes that the Applicant's output of the like article constitutes around 74% of the total Indian production. The Authority has, therefore, considered the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2 (b) and also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

Initiation of Sunset Review

11. And therefore, on the basis of the duly substantiated application of the Applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

12. The period of investigation (hereinafter referred to as "POI") for the present investigation will be from 1st April 2018 to 30th June 2019 (15 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

Procedure

13. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 15/9/2014-DGAD dated 5th May, 2015.

14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of information

15. The known exporters in the subject country and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority

Directorate General of Trade Remedies

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

Government of India

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street

New Delhi-110001

17. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit

Submission of information on confidential basis

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

    i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

    ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested

parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

22. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.21 14:04:41 +05'30'